न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 37/2014

उनवान

1. बाबू पुत्र भोमा जाति मेहरात निवास ग्राम भीमपुरा, नसीराबाद
—— वादी जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. मुकना पुत्र न्यामा उर्फ नेमा जाति मेहरात नि0 ग्राम भीमपुरा, नसीराबाद,
2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
—— प्रतिवादीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री उगम सिंह रावत
2 जरियें राज0 पैरोकार
3. भंवर,
4. सुवा पि0 भोमा जाति मेहरात नि0 ग्राम भीमपुरा, नसीराबाद
—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :– 3 व 4 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 अ राज0 काश्त0 अधि0 1955 सपठित
धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक :– 7.9.21

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम भीमपुरा में स्थित है जिसका वर्णन निम्न प्रकार है :–

हाल जमाबंदी		वंर्किग जमाबंदी	
ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा
1869	0.30	2075	09–01–10
1912	0.83		
1869/3035	0.08		
1869/2882	0.26		

उपरोक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता ने दिनांक 17.12.73 को क्रय कर मौके पर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। तब से वादी के पिता व उनके देहान्त के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का कब्जा उक्त आराजी पर चला आ रहा है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र की पालना में हाल खसरा नम्बर 1869 रकबा 0.30, 1912 रकबा 0.83 व 1869/3035 रकबा 0.08 का अधिकार अभिलेख में अमल दरामद हो गया किन्तु हाल खसरा नम्बर 1869 रकबा 0.30 को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया। आराजी के विक्रेता नेमा उर्फ न्यामा पुत्र कल्ला के फौत होने के बाद उनके वारिस सोहन,

Signature Not Verified
Digitally Signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 14:01:39 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अल्लारख, मुकना पि0 न्यामा में से सोहन व अल्लारख्स नाऔलाद फौत हो गये है। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे। इस आशय की आज्ञप्ति जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का बैचान जवाबकर्ता के पिता द्वारा कभी नही किया गया है यदि बैचान की है तो अपने कथनों कों वादी ठोस प्रमाण से सिद्व करे। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 कबिज है व उसके द्वारा उक्त आराजी पर बैंक से ऋण लिया है। वादी ने आराजी मुतनाजा हडपने की नियम से उक्त आराजी पर वाद पेश किया है अतः वाद सव्यय खारिज किया जवे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रसत आराजी वादी के पूर्वजों की विधिक कयशुदा है ?

   –– वादी

2. आया आराजी मुतनजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से दुरूस्ती योग्य है ?

   –– वादी

3. आया वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ?

   –– वादी

4. आया वादग्रस्त आराजी रहन होने व प्रतिवादी के नाम होने से वाद खारिज योग्य है ?

   –– प्रतिवादी

5. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में प्रदर्श पी01 से प्रदर्श पी0 5 राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा वादी बाबू पुत्र भोमा बाबू पुत्र न्यामा के बयान दर्ज करवाये।

वाद विचारण के दौरान जवाब पेश करने के बाद अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि आराजी मुतनाजा पर बैंक ऋण की राशि उनके पक्षकार द्वारा अदा कर दी जायेगी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

<u>**तनकी संख्या 1 :–**</u>

ग्राम भीमपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 2075 रकबा 9–1–10 की आराजी नेमा उर्फ न्यामा पुत्र कल्ला ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.12.73 को वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 4 के पिता भोमा पुत्र रामा को बैचान की थी। वंर्कि[illegible] मे खसरा नम्बर 2075/1 रकबा 6–14–10 भेमा पुत्र रामा व उस[illegible] संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 2075/2 रकबा 0–9–10 बाबू पुत्र भो[illegible] नाम गैर खातेदार व उसके बाद नामान्तकरण संख्या 77/20.05.95 से खातेदारी प्राप्त हुयी। खसरा नम्बर 2075/4 रकबा 0–8–10 सोहन मुकना अल्लारख पि0 न्यामा के नाम [illegible]खातेदारी दर्ज हुयी जो नामाप्न्तकरण संख्या 131/20.05.95 से खातेदारी प्राप्त हुयी। इस प्रकार स्पष्अ है कि वंर्किग खसरा नम्बर 2075 का 1–9–0 रकबा मुकना पुत्र न्यामा के नाम दर्ज था। शेष रकबा वादी व

––3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 14:01:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)

प्रतिवादी संख्या 3 व 4/पूर्वज के नाम दर्ज था। प्रतिवादी का कथन है कि उक्त विकय पत्र फर्जी है किन्तु प्रतिवादी द्वारा उक्त विकय पत्र के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोही नही की है। विकय पत्र नंजीकत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है खसरा नम्बर 2075 का शेष रकबा केता/पुत्रों के नाम दर्ज है। अतः आराजी मुतनाजा वादी के पिता की विधिक कयशुदा है तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा वादी के पिता की विधिक कयशुदा है। उक्त विकय पत्र की पालना में अधिकांश रकबे का नामान्तकरण वादी व उसके भाईयों के नाम हो चुका है। वंर्किग खसरा नम्बर 2075/3 रकबा 1–9–0 विकता के नाम वंर्किग जमाबंदी में दर्ज है जो उसके नाम गैर खतेदारी दर्ज था। तथा नामान्तकरण संख्या 91/20.05.95 से खातेदारी दर्ज हुयी। विकय पत्र की दिनांक 31.12.73 है जिसके अनुसार विकय दिनांक को उक्त आराजी विकेता की खातेदारी में नही थी। किन्तु आज दिनांक को उक्त आराज विकेता के पुत्र के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने उक्त आरारजी प्रतिफल राशि प्राप्त कर विकय की है। विकय की गयी शेष आराजी का नामान्तकरण उसके पक्ष में हो चुका है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 43 के अनुसार "जहां कि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या भूलवश यह व्यपदेश करता है कि वह अमुक स्थावर सम्पत्ति को अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी सम्पत्ति को प्रतिफलार्थ अन्तरित करने की प्रव्यंजना करता है वहां ऐसा अन्तरण अन्तरिती के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिसे अन्तरक ऐसी सम्पत्ति में उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित करे जितने समय तक उस अन्तरण की संविदा अस्तित्व में रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा पर विकेता को बाद में खातेदारी प्राप्त होने से उसके द्वारा किया गया विकय वैध है। तथा वादी वर्तमान त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकारी है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

उपरोक्त तनकियात के विवेचन के अनुसार वादग्रसत आराजी वादी के पिता की विधिक कयशुदा है। आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 इन्द्राज दुरूस्ती के अधिकारी है। प्रतिवादी ने अपने जवाब के कथनों को सिद्व करने के लियें कोई साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। प्रतिवादी उक्त आराजी का बैचान अन्यत्र करते है तो वादी के हितों पर विपरित प्रभाव पडेगा तथा। वादी को अपुरणीय क्षति भी होगी। अतः वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है।

तनकी संख्या 4 :–

आराजी मुतनाजा वादी के पिता की विधिक कयशुदा है। पूर्व तनकी के विवेचन अनुसार वादी हाल इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 का कथन है कि उक्त आराजी बैंक के नाम रहन होने से वादी उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी नही है। किन्तु प्रतिवादी के पिता द्वारा [illegible] दी थी। अतः प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी पर ऋण लेने का अधिकार [illegible] है। [illegible] अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया है कि खसरा नम्बर 1869 [illegible] सवंधित बैंक को अदा कर दी जायेगी। ऐसी स्थिति [illegible] की गयी आराजी में से हाल खसरा नम्बर 1869 रकबा 0.30 [illegible] सहमत होने के कारण बैंक के हित पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। अतः तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 14:01:39 IST
Reason: SelfAttested

––4

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसार ग्राम भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 1869 रकबा 0.30 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे, भूमि का विक्रय नही करे। वादी द्वारा उक्त आराजी संबधित बैंक से रहन मुक्त करवाने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 14:01:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

बाबू बनाम मुकना

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 37/2014
पेश करने की दिनांक – 19.02.14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुददई उगम सिंह रावत, राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 1869 रकबा 0.30 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे, भूमि का विक्रय नही करे। वादी द्वारा उक्त आराजी संबधित बैंक से रहन मुक्त करवाने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 7 माह 09 सन् 2021 को जारी की गयी।

मुददई

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बावत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मुदायला

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 14:01:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद